

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-6
संख्या-1654/9-6-2014
लखनऊ: दिनांक : 24 सितम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 2, सन् 1916) धारा-56 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल घोषित करते हैं कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार स्तम्भ-3 में अंकित निकाय के नामित सदस्य का पद उनके सम्मुख उल्लिखित कारण/तिथि से रिक्त हो गया है :-

क्र०	जनपद	निकाय का नाम	पता	सदस्य का नाम	कारण
1	सिद्धार्थनगर	सिद्धार्थनगर	वार्ड संख्या- 07 मोहल्ला राहुल नगर, सिद्धार्थनगर	श्रीमती श्यामराजी देवी पत्नी स्व० श्री तेगाराम	निधन (दिनांक 13.01.2013)
2	महोबा	चरखारी	मोहल्ला सदर बाजार, चरखारी, महोबा	श्रीमती सुमन गोस्वामी पति श्री रमन गोस्वामी	कतिपय निजी कारणों से दिनांक 24.07.2013 को शपथ न लेना।

आज्ञा से,
श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या-1654(1)/9-6-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड ख में दिनांक 24 सितम्बर, 2014 को प्रकाशित कराकर 20 मुद्रित प्रतियाँ नगर विकास अनुभाग-6, बापू भवन, आठवाँ तल, लखनऊ तथा सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं नगरीय निकाय) उत्तर प्रदेश, पी.सी.एफ. भवन, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
अनु सचिव।

संख्या-1654(2)/9-6-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) अपर आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत तथा नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश, पी.सी.एफ. भवन, स्टेशन रोड, लखनऊ।
- (2) आयुक्त, बस्ती मण्डल/चित्रकूट धाम मण्डल ।
- (3) जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर एवं महोबा।
- (4) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (5) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर एवं नगर पालिका परिषद, चरखारी जनपद महोबा।
- (6) नगर विकास अनुभाग-1 ।
- ✓(7) कम्प्यूटर सेल नगर विकास विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे विभाग के वेबसाइट पर डाउनलोड करें।
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
अनु सचिव।

8